# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

<u>प्रेस नोट</u>

सं.ईसीआई/प्रेस नोट/58/2015 दिनांक : 18 सितम्बर, 2015

**विषय : 'इनमें से कोई नहीं' (नोटा) विकल्प के लिए प्रतीक।**

यह स्मरण कराया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग ने दिनांक 27 सितम्बर, 2013 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में, दिनांक 11 अक्तूबर, 2013 से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर प्रदर्शित मतपत्रों और अन्य सभी मतपत्रों पर 'नोटा' - 'इनमें से कोई नहीं' विकल्प शुरु किया था।

भारत निर्वाचन आयोग ने मतदातों के द्वारा नोटा विकल्प का प्रयोग करने में सुविधा देने हेतु 'इनमें से कोई नहीं (नोटा)' विकल्प के लिए, अन्य निर्वाचन प्रतीकों की भांति नीचे दर्शाया गया एक विशिष्ट प्रतीक शुरु किया है। अब से आयोजित किए जाने वाले सभी निर्वाचनों में 'इनमें से कोई नहीं (नोटा)' के सामने सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के अंतिम पैनल और अन्य मतपत्रों पर यह प्रतीक अब दिखाई देगा। इस संबंध में सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

'नोटा' विकल्प का मुख्य उद्देश्य, उन निर्वाचकों को जो किसी भी अभ्यर्थी को वोट नहीं देना चाहते हैं, को उनके निर्णय की गोपनीयता का उल्लंघन किए बिना उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाना है।

'इनमें से कोई नहीं (नोटा)' विकल्प के लिए प्रतीक राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एन.आई.डी) अहमदाबाद द्वारा डिजाइन किया गया है।

नोटा प्रतीक

**धीरेन्द्र ओझा**

**(निदेशक)**